"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 296] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जून 2026 — ज्येष्ठ 15, शक 1948

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26 मई 2026

अधिसूचना

क्रमांक ESTB/11458/2025-HOME SECTION.— आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 (2022 का 11) की धारा 4 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, पुलिस विभाग एवं जेल विभाग को अपने–अपने क्षेत्राधिकार में मापों को एकत्रित करने, संरक्षित करने और साझा करने के लिए उपयुक्त एजेंसियों के रूप में अधिसूचित करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 26th May 2026

NOTIFICATION

No. ESTB/11458/2025-HOME SECTION.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of The Criminal Procedure (Identification) Act, 2022 (No. 11 of 2022), the State Government, hereby, notifies the Police Department and the Prison Department as appropriate agencies to collect, preserve and share the measurements in their respective jurisdiction.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHRIKANT VERMA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.